फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)

राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिकन्दरा बनाम मंत्री खादी ग्रामोद्योग समिति सिकन्दरा

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.न. 142/21

हुक्म		नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
12.2021	प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र मय दस्तावेजों की नकलो की छाया प्रतिया संलग्न कर जरियें प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया हमने प्रार्थी अधिवक्ता की प्रा0 अस्थाई निषेधाज्ञा के अंतरिम अनुतोष पर एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस का मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो की छायाप्रतियों का अवलोकन किया गया हम प्रथम दृष्टया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस से संतुष्ट होकर् यह पाया कि प्राईमा फैसाई केस , सुविधा का संतुलन व अपूर्ण क्षति का सिद्वान्त प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाने पर अप्रार्थीगणो को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया गया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । अतः अप्रार्थीगणो को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके रामा सिकन्दरा तह. सिकराय जिला दौसा के आराजी ख.न 3293/374, 3294/374 एवं 3295/374 मे अप्रार्थीगणो को आगामी तिथी दिनांक 22.12.2021 तक पाबन्द किया जाता है कि उक्त विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाएं रखें। अप्रार्थीगणो की तलवी की जावे कोई आपप्ति हो तो नियत दिनांक 22.12.2021 को न्यायालय मे उपस्थित होकर उज्र पेश करे पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर नियत दिनांक 22.12.2021 को पेश हो । 22.12.21 पत्रावली पेश। के वकील उप्र0 जवाब हेतु दि. 2-2-22 को पेश हो।	
2.2.22	पत्रावली पेश। जवाब हेतु अवसर चाहा गया। पत्रावली जवाब हेतु दि. 3.3.22 को पेश हो।	
3.3.22	पत्रावली पेश। जवाबदावा पेश नहीं। जवाब हेतु अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 10.3.22 को पेश हो।	
10.3.22	पत्रावली पेश। जवाब पेश नहीं। जवाब बंद किया जाकर प्रश्नगत भूमि की 2.12.21 को जारी अन्तरिम T.I. ता फैसला मूल वाद, Confirm की जाती है। 10.3.22	